रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940
No. 239] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 367(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1378 (अ) तारीख 10 नवंबर, 2017 द्वारा कतिपय प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 10 नवंबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम के नियम 125ग में उपनियम 4 के पश्चात् अधिसूचना संख्यांक 756 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा यथा अंत:स्थापित, विद्यमान उपनियमों को क्रमश: उपनियम (5) और (6) के रूप में पुन:संख्याकित किया जाएगा।

3. नियम 125ग में इस प्रकार संख्यांकित उपनियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(7) (क) मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को और उसके पश्चात् विनिर्मित, ड्राइवर को छोड़कर 13 यात्रियों या उससे अधिक के बैठने की क्षमता वाली पूर्ण रूप से निर्मित बसें, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अनुसूचित तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस: 153 के अनुसरण में होगी ।

(ख) खंड (क) के अनुसार अनुमोदित बसें निम्नलिखित सारणी 1 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में भी होगी:--

सारणी 1

क्रम सं.	**पुर्जे/अन्वय/सज्जीकरण/पालन प्राचल**	**अपेक्षाएं/मानक**	**आरंभ की तारीख/विधिमान्यता**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सकल यान भार के लिए इंजन की शक्ति	>5किवा./टन	1 अप्रैल, 2019
2	त्वरण	एआईएस:153 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019
3	आंतरिक ध्वनि स्तरीय अपेक्षाएं	एआईएस:153 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019
4	प्रदोलन	एआईएस:153 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019
5	कठोरता	एआईएस:153 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019
6	उन्नत ब्रेकिंग पालन, एंटीलॉक ब्रेकिंग प्रणाली (एबीएस), विद्युत यान स्थायित्व नियंत्रण प्रणाली और अन्य अपेक्षाएं	एआईएस:150 और एआईएस:153	1 अप्रैल, 2019
7	अग्नि खोज, चेतावनी और उन्मूलन प्रणाली	एआईएस:135 और एआईएस:153	1 अप्रैल, 2019
8	बहुविध/इलैक्ट्रानिक संरचना	एआईएस:153 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019

[फा.सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सा.का.नि. संख्यांक 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. संख्यांक 243(अ) तारीख 20.03.2018 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April , 2018

G.S.R. 367(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification number G.S.R 1378 (E), dated the 10th day of November , 2017 of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 10th day of November, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, in rule 125C, after sub-rule (4) as inserted vide notification number G.S.R. 756(E) dated the 30th June, 2017, the existing sub-rules shall be renumbered as sub-rules (5) and (6) respectively.

3. In rule 125C, after sub-rule (6) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(7) (a) Fully built buses, with a seating capacity of 13 passengers or above excluding driver, manufactured on and after the 1st April 2019, by Original Equipment Manufacturers shall be in accordance with AIS:153, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

(b) The buses approved as per clause (a) shall also comply with the requirements, as specified in the following Table I, namely :-

TABLE I

Sr. No.	**Parts/components/ Assemblies/ Performance Parameter**	**Requirements / Standards**	**Date of commencement / validity**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Engine Power to Gross Vehicle Weight	> 5 kW/ton	1st April 2019
2	Acceleration	As per AIS:153	1st April 2019
3	Interior noise level requirements	As per AIS:153	1st April 2019
4	Vibration	As per AIS:153	1st April 2019
5	Harshness	As per AIS:153	1st April 2019
6	Improved Braking Performance, Anti-Lock Braking System (ABS), Electronic Vehicle Stability Control System (EVSC) and Other requirements	AIS:150 and AIS:153	1st April 2019
7	Fire Detection, Alarm and Suppression system	AIS:135 and AIS:153	1st April 2019
8	Multiplexing/ electronic architecture	As per AIS:153	1st April 2019".

[F. No. RT-11028/02/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 243(E) dated 20.03.2018**.**

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.17 17:34:26 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.